कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2754 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31/12/13

प्रेषक,

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
वैशाली, हाजीपुर।

विषयः– जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिनांक 03.10.13 को प्राप्त शिकायत पत्र सं0 3578 का जांच प्रतिवेदन।

प्रसंगः– पत्रांक 1670/जन शिकायत, हाजीपुर दिनांक 07.10.2013

महाशय,

उपरोक्त विषयक शिकायत/ परिवाद पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर के प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए जांच प्रतिवेदन भेजी जा रही है।

शिकायतकर्त्ता का नाम एवं पताः–

श्रीमती सरिता देवी एवं अन्य
ग्राम– खिलवत
प्रखण्ड– बिदुपुर
जिला– वैशाली।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत–पत्र संख्या 39/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
30.12.13	यह शिकायत–पत्र सरिता देवी एवं अन्य ग्राम पंचायत खिलवत, ग्राम– खिलवत, प्रखण्ड– बिदुपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 22.10.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत खिलवत में मनरेगा योजनाओं के तहत मजदूरी की राशि फर्जी ढ़ंग से निकाली गयी है। जबकि हमलोगों को काम न मिलने पर दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को विवश है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर से जांच प्रतिवेदन एवं कारवाई की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त शिकायत का जांच कार्य उनके द्वारा स्वयं किया गया है तथा उनके गॉव जाकर शिकायतकर्त्ता के निवास स्थान पर ब्यान लिये गये है। प्रतिवेदन में शिकायतकर्त्ता सरिता देवी, पति– अशोक सिंह द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मनरेगा में एक दो साल पहले काम किया गया था। जिसकी मजदूरी का भुगतान डाकघर द्वारा मिला है। मैं सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती हूँ और मुझसे धोखे में रखकर गॉव के कुछ लोगों द्वारा हस्ताक्षर करा लिया गया है। मुझे पंचायत के मुखिया तथा पंचायत रोजगार सेवक से कोई शिकायत नहीं है। अन्य शिकायतकर्त्ता श्री सुदीन राम एवं सुनील राम, पिता– पवित्तर राम, ग्राम खिलवत , प्रखण्ड– बिदुपुर, जिला– वैशाली के द्वारा बताया गया है कि उन लोगों के द्वारा मनरेगा में किसी तरह का कोई शिकायत–पत्र नहीं दिया गया है। अन्य शिकायतकर्त्ता श्री राम कुमार राम , पिता– श्री रामबली राम, ग्राम– खिलवत, प्रखण्ड– बिदुपुर, जिला– वैशाली ने बताया है कि मेरे द्वारा मनरेगा में कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गयी है। जबकि मेरे नाम का इस्तेमाल गाँव के कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। शिकायतकर्त्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसमें उनके द्वारा शिकायत/ परिवाद पत्र को तथ्य हीन एवं भ्रामक बतायी गयी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में श्रीमती सरिता देवी, सुदीन राम एवं राम कुमार राम का कथन भी प्रस्तुत किया है। दिनांक 23.12.2013 को मेरे द्वारा शिकायतकर्त्ता के ग्राम पंचायत का स्थल भ्रमण	

किया गया। मेरे साथ पंचायत तकनीकी सहायक, श्री राजीव कुमार के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।

मेरे स्थल भ्रमण में शिकायतकर्त्ता श्रीमती सरिता देवी के निवास स्थान पर शिकायत के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होंने बताया कि मैं खिचड़ी योजना में अर्थात मध्याहन भोजन योजना में काम करती हूँ। मनरेगा योजना में शिकायत करने के बारे में पूछे जाने पर इनकार किया। शिकायत–पत्र में अन्य शिकायतकर्त्ता श्री राम कुमार राम के निवास स्थान पर वे उपस्थित नहीं थे। मौके पर उपस्थित उनके भाई श्री इन्द्रजीत राम द्वारा बताया गया कि मेरे भाई श्री राम कुमार राम ने मनरेगा की विभिन्न येाजनाओं में काम किया है तथा उन्हें मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ है।

अन्य शिकायतकर्त्ता श्री सुदीन राम एवं सुनील राम, पिता– राम पवित्तर राम, निवास स्थान पर उपस्थित नहीं पाये गये। मौके पर शिकायतकर्त्ता के पिता ~~उपस्थित~~ श्री राम पवित्तर राम ने बताया कि वे लोग निर्माण कार्य की मजदूरी से जुड़े है। हाजीपुर काम करने गये हुए है। मनरेगा की योजनाओं के भुगतान में की गयी शिकायत के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनलोगों ने पंचायत की विभिन्न योजनाओं में काम किये है। जिसकी मजदूरी भी प्राप्त हुई है। शिकायत पत्र के बारे में बताया गया कि वे हस्ताक्षर नहीं करते है। अँगूठे का निशान लगाते है।

वाद का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्त्ता श्रीमती सरिता देवी,पति – श्री अशोक सिंह को शिकायत के विषय में कोई जानकारी नहीं हे। अन्य शिकायतकर्त्ता श्री राम कुमार राम के बारे में बताया गया कि वे मनरेगा में काम करते है तथा उनके द्वारा मजदूरी भी प्राप्त की गयी है। श्री सुदीन राम तथा श्री सुनील राम के बारे में बताया गया कि वे हस्ताक्षर नहीं कर पाते है केवल अँगूठे का निशान ही लगाते है। चूँकि शिकायत व्यक्तिगत मजदूरी पाये जाने से संबंधित है और शिकायत पत्र से संबंधित शिकायत से शिकायतकर्त्ताओं ने इनकार किया है तथा शिकायत पत्र पर उनलोगों के हस्ताक्षर किये गये है। जबकि श्री सुदीन राम एवं राम कुमार राम अगूँठा का निशान ही लगा पाते है।

अतः उक्त वाद के शिकायत संदेहास्पद प्रतीत होती है तथा इसका निष्कर्ष पाना सही प्रतीत नहीं होता है।

हस्ताक्षर

20/12/13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।